पत्रिका

विशेष अदालत 20 अगस्त को करेगी सुनवाई

भारतमाला मुआवजा और कोयला घोटाले के आरोपियों की रिमांड बढ़ी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. भारतमाला परियोजना मुआवजा और कोयला घोटाले में जेल भेजे गए आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश को बताया कि दोनों ही प्रकरणों की जांच चल रही है। इसे देखते हुए रिमांड को बढ़ाने की मांग की गई। जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

भारतमाला मुआवजा घोटाला

अभनपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कुंदन बघेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेमराज कोसले, जमीन दलाल पुनुराम देशलहरे, भोजराम साहू और जलसंसाधन विभाग के अमीन गोपालराम वर्मा और सेवानिवृत नरेन्द्र कुमार नायक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी हरमीत सिंह खनूजा, विजय जैन और उमा तिवारी एवं उसके पति केदार तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

कोयला घोटाला

570 करोड़ रुपए के घोटाले में सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, रानू साहू , सौम्या चौरसिया, नवनीत तिवारी, देवेंद्र डड़सेना और रामगोपाल अग्रवाल सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। इसमें रामगोपाल फरार और समीर, रानू , सौम्या सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया जा चुका है। इन सभी पर आरोप है कि सिडिंकेट बनाकर 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से 2020 और 2022 के बीच कोल परिवहन के एवज में वसूली होती थी।

07/08/2025 | Raipur City | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/